

हरियाणा सरकार

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 1996

सं० का० आ 86/पं० अ० 2/1914/धा० 3/96.—पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1954 की धारा 3 तथा भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897 की धारा 6 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, मत्स्य पालन विभाग, अधिसूचना सं० का० आ० 30/पं० अ० 2/1914/धा० 3/96, दिनांक 23 फरवरी, 1996 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा सार्वजनिक जल में मछली पकड़ने को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम हरियाणा मत्स्य क्षेत्र नियम 1996, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम तथा
विस्तार।

(2) ये अनुसूची में विनिर्दिष्ट जल पर लागू होंगे।

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

परिभाषाएं।

(1) “नीलामी प्राधिकारी” से अभिप्राय है, निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा या इन नियमों के अधीन नीलामी करने के लिये निदेशक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अधिकारी ;

(2) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

(3) “प्रारूप” से अभिप्राय है, इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप ;

(4) “अनुज्ञप्ति” से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति ;

(5) “अनुज्ञप्तिधारी” से अभिप्राय है, ऐसा कोई व्यक्ति जिस के पक्ष में, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ;

(6) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से अभिप्राय है, निदेशक अथवा इस निमित्त लिखित रूप में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ; और

(7) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

3. इन नियमों के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की गई अनुज्ञप्ति के सिवाय अनुसूची में उल्लिखित किसी भी जल में मछली पकड़ना निषिद्ध होगा।

मछली पकड़ने के
लिये अनुज्ञप्ति
धारा 3।

4. (1) प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम दिन को अथवा इसके बाद नीलामी प्राधिकारी अनुसूची में उल्लिखित किसी जल में अथवा ऐसे किसी भाग में मछली पकड़ने के किसी अधिकार को सार्वजनिक नीलामी द्वारा करवाएगा। समिति द्वारा नीलामी अधिकारी की सहायता की जावेगी जिस में उप-निदेशक मत्स्य पालन, सम्बन्धित जिले का और

अनुज्ञप्ति देने के
लिये नीलामी
धारा 3।

इस के साथ के जिले का मुख्य विकास अधिकारी, और राज्य विभाग का कोई प्रतिनिधि जो नायब तहसीलदार के रैंक से नीचे का नहीं शामिल होंगे। किसी भी व्यक्ति को तब तक बोली देने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वह निदेशक, मुख्य पटन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राशि ब्याना राशि के रूप में नकद रकम जमा नहीं करवाये।

(2) यदि नीलामी के समय उच्चतम बोली उस समय लागू सहकारी सोसाइटी पंजीकरण से सम्बन्धित विधि के अधीन पंजीकृत मछियारा सहकारी सोसाइटी की नहीं होती, तो नीलामी प्राधिकारी उस बोली को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह मछियारा सहकारी सोसाइटी, यदि कोई हो, की उच्चतम बोली से कम से कम दस प्रतिशत अधिक नहीं होती। यदि उच्चतम बोली से कम से कम दस प्रतिशत अधिक नहीं होती है, तो नीलामी मछियारा सहकारी सोसाइटी के पक्ष में समान कर दी जायेगी, परन्तु यह उच्चतम बोली, गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त संविदा राशि की औसत से कम हो, तो नीलामी प्राधिकारी उच्चतम बोली अथवा मछियारा सरकार सोसाइटी की बोली, जैसे भी स्थिति हो, स्वीकार नहीं करेगा, उन मामलों में मछली पकड़ने के अधिकार पुनः नीलाम किए जाएंगे।

(3) ज्यों ही सफल बोली स्वीकार कर ली जाती है उस के उपरान्त प्रस्तुत बोली दाताओं द्वारा जमा करवाई गई ब्याना राशि लौटा दी जायेगी। सफल बोली दाता को अग्रिम राशि उसे लाईसेंस जारी होने के पश्चात् लौटाई जायेगी।

(4) यदि दी गई बोली उचित नहीं है तो नीलामी प्राधिकारी नीलामी रद्द कर सकता है, ऐसी स्थिति में मछली पकड़ना विभागीय तौर पर अथवा रायस्टी के आधार पर किया जायेगा।

संविदा राशि का
भुगतान द्वारा 31

5. (1) वह व्यक्ति जिस की बोली स्वीकृत हो गई है, मछलियों पकड़ने के लिये प्रस्तावित पूरी राशि का भुगतान नीलामी के समय करेगा। अन्यथा उसके द्वारा 1/3 भाग नीलामी के समय भुगतान करेगा और शेष राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से तीस दिन के भीतर करेगा। तीस दिन की नियत अवधि के भीतर बोली देने वाले द्वारा शेष 2/3 भाग राशि जमा करवाने में असफल रहने पर, नीलामी के समय बोली देने वाले द्वारा पहले से ही जमा करवाई गई 1/3 भाग राशि जप्त कर ली जायेगी। ऐसे मामलों में जहां बोली की राशि दस हजार रुपये से कम है तो सन्धी राशि का भुगतान नीलामी के समय करना होगा।

(2) कोई व्यक्ति जिस के पक्ष में नीलामी छोड़ी जाती है, नीलामी घनराज पर इन नियमों के उपबन्धों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों की इमानदारी से अनुपालना के लिये अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी के पास संविदा राशि के पांच प्रतिशत भाग के बराबर नकद प्रतिभूति राशि के रूप में भी जमा करवायेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्य बाही, जो उस के विरुद्ध

की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नकद प्रतिभूति या उस का ऐसा भाग जिस से अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उचित समयों, सरकार को समयहृत कर ली जायेगी।

(3) 1/3 राशि के भुगतान के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी बोली की स्वीकृति जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिये प्रारूप "क" में एक करार विलेख प्रस्तुत करेगा।

(4) उप-नियम (1) के यथापेक्षित द्वारा नीलामी की कुल राशि जमा करवाने, उप-नियम (2) द्वारा यथापेक्षित नकद प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर तथा उप नियम (3) द्वारा यथापेक्षित करार विलेख प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे प्रारूप (ख) में एक अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।

(5) यदि बोली लगाने वाला, जिस के नाम पर नीलामी समाप्त हो जाती है, घनपात पर, उस की ओर से देय राशि का अथवा उप-नियम (2) के अधीन जमा करवाई जाने के लिये अपेक्षित प्रतिभूति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है अथवा उप नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित करार विलेख प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो नीलामी प्राधिकारी की अग्रिम राशि, नीलामी के समय पहले से जमा करवा गई 1/3 भाग राशि तथा नकद प्रतिभूति समयहृत करने, बोली रद्द करने, मछली पकड़ने के अधिकार की पुनः नीलाम करने तथा बोली लगाने वाले को तीन वर्ष तक बोली लगाने से उसे विवर्जित का अधिकार होगा।

6. नियम 5 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति जब तक इससे पहले ही समाप्त नहीं कर दी जाती, पहली सितम्बर से अथवा इसे जारी होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, आगामी 31 अगस्त तक लागू रहेगी।

7. (1) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा उस के द्वारा नामजद व्यक्ति पहली जुलाई से 31 अगस्त तक के मौसम बन्दी के दौरान बंगी और हाथ की डेरी के सिवाय मछली नहीं पकड़ेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्बद्ध मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रारूप (ग) में अनुज्ञा पत्रों से यथा उपलब्ध करवाए गये हैं अपने अभिकर्ता या नामजद व्यक्ति के माध्यम से मछलियां पकड़ेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897, की धारा 6 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन मछली पकड़ने के लिये बन्द किये गये किसी पानी में न तो स्वयं और न ही अपने अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति के माध्यम से मछली पकड़ेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति मछली पकड़ने के लिये नीचे वर्णित उपस्कर के सिवाय किसी ओर का प्रयोग नहीं करेगा :—

(i) सभी प्रकार के जाल जिन के किसी भाग में एक गांठ से दूसरी गांठ तक 4 सैटीमीटर अथवा चारों ओर 16 सैटीमीटर से कम माप की जाती रोधक नहीं होगी ;

- (ii) काटे की लम्बी डोरी ;
- (iii) बंसी और डोरी ;
- (iv) हाथ की डोरी ;

परन्तु पुलों और जल शीपंतव के दोनों के किसी भी ओर 200 मीटर की दूरी के भीतर जल में बंसी के सिवाय किसी अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उस के अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति किसी प्रकार के स्थायी-इंजनों का मछली पकड़ने के लिये या तो निर्माण करेगा अथवा न ही करवायेगा। (घूटे पर लगे जालों के मामलों के सिवाय जब ये महाजाल के साथ प्रयोग करने के लिये पानी में अस्थायी रूप से लगाये जाते हैं) मछली पकड़ने के लिये न तो बांधों अथवा बाँयरो का प्रयोग किया जायेगा और न ही अपने अभिकर्ताओं अथवा नामजद व्यक्तियों को मछली पकड़ने के लिये बाहर, बिजली के करंट, तार, डायनामाईट अथवा किसी अन्य हानिकारक अथवा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करेगा व करने की अनुज्ञात करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा (6) के अधीन बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने के लिये सशक्त है, मांगने पर अपनी अनुज्ञप्ति दिखाने के लिये बाध्य होगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी अथवा उस के अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से कम लम्बाई वाली निम्नलिखित किस्म की कोई मछली बेचने अथवा विनियम के लिए नहीं पकड़ेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा:—

- (i) राहू ;
- (ii) मृगल ;
- (iii) कतला ;
- (iv) महागेर ;
- (v) सिल्वरकाप ;
- (vi) घास कार्य ;
- (vii) कामन काप ।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक, की लिखित रूप में पूर्ण मंजूरी के बिना अनुज्ञप्ति के अधीन अपने अधिकारों और शक्तियों का अन्तरण नहीं करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञा पत्र रजिस्टर रखेगा जिस में वह उन व्यक्तियों के नाम और पत्तों का उल्लेख करेगा जिनके पक्ष में उसकी अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में मछलियों पकड़ने के लिये अनुज्ञा पत्र जारी किए गये हैं।

(10) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित को दर्शाने वाला एक दैनिक रजिस्टर रखेगा :

(i) पकड़ी गई, खरीदी गई और बेची गई मछली का भार ;

(ii) मछली पकड़ने के लिये प्रयुक्त उपकरण ;

(iii) किस्में ;

(vi) मछली पकड़ने के केन्द्रों का स्थान ;

(v) विभिन्न प्रकार की मछली के थोक और परचून मूल्य ।

(11) अनुज्ञप्तिधारी सम्बन्धित मास से आगामी मास की 5 तारीख तक मछली विकास अधिकारी को उप-नियम (10) में वर्णित मदों के सम्बन्ध में मासिक एक विवरण भेजेगा जिस में असफल होने पर 10 दिन की अवधि के लिये 10 रु० प्रति दिन की विलम्ब फीस ली जायेगी और यह जमा प्रतिभूति में से वसूल की जायेगी । यदि विवरण पूर्वोक्त अवधि के दौरान उस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी ।

(12) अनुज्ञप्तिधारी किसी मछली के विक्री के लिये कोई कमीशन वसूल नहीं करेगा जो उस की ओर से मत्स्य पालन विभाग द्वारा दी जाती है ।

(13) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्तिधारी का प्रत्येक अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में जो उस के ध्यान में हैं आता है, सम्बद्ध मछली पालन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तहसीलदार अथवा उपायुक्त को रिपोर्ट करने के लिये बाध्य होगा ।

8. (1) अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रकार के नुकसान के लिए सरकार से किसी क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजे के दावे के लिये हकदार नहीं होगा जो उसे बाढ़, प्रदूषण, मूल्यों में गिरावट, मुकदमें बाजी अथवा किसी अन्य कारण, जो भी हो, से हो ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उस की अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लंघन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उस के विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही के कारण हुआ ।

9. मत्स्य पालन विभाग का निदेशक अथवा कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी मछली अभिलेख के निरीक्षण के प्रयोजनार्थ मछली एक्क करने अथवा भंडार करने अथवा बेचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग किए गए किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है ।

अनुज्ञप्तिधारी
सरकार से किसी
प्रकार की
हानि का दावा करने
का हकदार नहीं
होगा ।
धारा-3

निरीक्षण ।
धारा-3

उपकरण और मछली
को जमा करना ।
धारा-3

10. इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मछली पकड़ने के लिये निर्गित अधिका प्रयुक्त सभी उपकरण पंजाब मत्स्य और अधिनियम, 1914 की धारा (6) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा किये जा सकते हैं, और वह उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिये ऐसे किसी उपकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पकड़ी गई कोई मछली यथापूर्वोक्त सशक्त व्यक्ति द्वारा अभिग्रहीत तथा समपहत भी जा सकेगी और इस प्रकार वे समपहत मछली को ऐसे व्यक्ति द्वारा जिन्होंने इसे समपहत किया है यथा सम्भव जीघ्र नीलायी, करदी जायेगी ।

अनुज्ञप्ति रद्द करना
और अनुज्ञप्तिधारी
के जोखिम पर पुनः
नीलामी करना ।
धारा-3

11 (1) यदि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उस का अधिकारी अथवा नामजद व्यक्ति इन नियमों के किसी उपबन्ध का अथवा अपनी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन का उल्लंघन करता है, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह इन नियमों के अधीन अथवा विधि के किसी उपबन्ध के अधीन उस के द्वारा की जा सकती है, उस की अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है । ऐसी स्थिति में मछली पकड़ने के अधिकारों को पुनः नीलाम किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी पुनः नीलामी के कारण सरकार को हुई हानि सहित यदि कोई हो पुनः नीलामी के सभी खर्च सरकार को भुगतान करने के लिये दायी होगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने की स्थिति में, नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों को रद्द किया गया, समाप्त जाएगा ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति और उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञा पत्र को रद्द करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति धारी अथवा अनुज्ञा पत्र धारी को जैसी भी स्थिति हो, संविदा राशि को अथवा हानि या अनुत्पन्न, चाहे जो भी हो, जो उसे हुआ हो, के फलस्वरूप किसी राशि की जो उसके द्वारा सरकार को भुगतान की गई हो, वापिस लेने का हकदार नहीं होगा ।

श्रीड़ा के लिये
अनुज्ञप्ति जारी
करना ।
धारा-3

12. (1) पूर्ववर्ती नियमों के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आवेदक द्वारा इस निमित्त आवेदन पत्र देने पर प्रारूप (छ) में, उस में विनिर्दिष्ट शर्तों पर उसे केवल श्रीड़ा बंसी के साथ मछलियां पकड़ने के लिये उसमें अनुसंधिप्त है ।

(2) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पहले से ही नीलाम, किए गए किसी जल में मछली पकड़ने के लिये जारी की जाती है तो वह अनुज्ञप्तिधारी जिसने नीलामी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी श्रीड़ा के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्ति जारी हो जाने के कारण किसी मुद्रावजे अथवा हानि का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस निम्नानुसार होगी :—

अनुज्ञप्ति की अवधि	फीस की अवधि
(क) एक वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए..	100 रुपये
(ख) मासिक अनुज्ञप्ति ..	50 रुपये
(ग) साप्ताहिक अनुज्ञप्ति ..	25 रुपये
(घ) दैनिक अनुज्ञप्ति ..	5 रुपये

13. यदि इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति खो जाती है, विकृत हो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इस निर्मित सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर केवल 2 रुपये की फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि जारी कर सकता है।

अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि जारी करना।
धारा-3

14. इन नियमों की कोई भी बात मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को अथवा निदेशक द्वारा सशक्त अथवा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुसंधान अथवा विकास के प्रयोजन के लिये वर्ष के किसी भी समय किसी भी ढंग से किसी भी किस्म की मछली पकड़ने से वर्जित नहीं करेगी। अनुज्ञप्तिधारी इस कारण से किसी हानि अथवा मुआवजे के दावे के लिए हकदार नहीं होगा।

मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी और कार्यचारी मछली पकड़ने से वर्जित नहीं।

धारा-3

15. पंजाब मत्स्य क्षेत्र नियम, 1966, इसके द्वारा हरियाणा राज्यार्थ निरसित किये जाते हैं :

निरसित।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जाएंगी।

प्ररूप क

[देखिए नियम 5 (3)]

करार विलेख

यह करार विलेख एक पक्षकार हरियाणा के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार श्री _____ निवासी _____ जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है के बीच _____ वे दिन को किया गया ।

पक्षकार इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से सहमत है :—

1. सरकार अनुज्ञप्तिधारी को इस विलेख के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक जल में मछली पकड़ने के लिये इस प्रपत्र में उल्लिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर इसके द्वारा अनुज्ञप्ति देती है । अनुज्ञप्ति की कोई भी बात किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा इसके अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति को मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897, की धारा 6 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मछली पकड़ने के लिये बन्द किये गये किसी जल में मछली पकड़ने का कोई प्राधिकार नहीं देगी ।

2. इसके द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति दिनांक _____ से _____ तक की अवधि के लिये विधिमान्य होगी परन्तु सम्बद्ध वर्ष की प्रथम जुलाई से 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान बंसी के सिवाय किसी अन्य प्रकार से मछली पकड़ने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

3. (क) सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के प्रति फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी ने सरकार को _____ रुपये की राशि भुगतान कर दी है, जिसकी पावती इसके द्वारा स्वीकृत दी गई है ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने सरकार को _____ रुपये की (कुल राशि का 5 प्रतिशत) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और अनुपालन करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति देगा ।

4. (क) अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अभिकर्ताओं अथवा नामजद व्यक्तियों के माध्यम से जिन्हें जिले के मत्स्य पालन विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुज्ञा पत्र दिए गए हैं मछली पकड़ने का हकदार होगा ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी और इसके अभिकर्ता और नामजद व्यक्ति, मांग करने पर इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति और ऐसे अधिकारियों को जो पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1914, के उपबन्धों के अधीन बिना वारन्ट गिरफ्तार करने के लिये सशक्त यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र दिखाने के लिये बाध्य होंगे ।

5. निदेशक, मत्स्य पालन हरियाणा को (जिस इगमें इसके पश्चात्, "निदेशक" कहा गया है) बंसी से केवल क्रीड़ा करने के लिये व्यक्तिगत अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार तथा प्राधिकार होगा और अनुज्ञप्तिधारी इस कारण किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति मछली पकड़ने के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित उपस्करों के सिवाय किसी अन्य प्रकार का उपस्कर प्रयोग नहीं करेंगे :—

- (1) सभी प्रकार के जाल जिनके किसी भाग में एक गांठ से दूसरी गांठ तक जाली 4 सेंटीमीटर अथवा चारों ओर 16 सेंटीमीटर से कम जाली रोचक नहीं होगी।
- (2) मत्स्य रज्जु कांटे सहित लम्बी डोरी।
- (3) बंसी।
- (4) हाथ की डोरी हस्त मत्स्य रज्जु।

माने वाले पुलों और जलशीर्ष तंत्र के दोनों ओर दो सौ मीटर की दूरी के हरियाणा राज्य में जल में बंसी के सिवाय किसी अन्य उपस्कर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1914, के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के बारे में, जो उसके अथवा उसके ध्यान में आये सरकार के मत्स्य पालन विभाग के निदेशक अथवा अन्य अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति मछली पकड़ने के लिये किसी स्थायी इंजन, डेम या जाल का निर्माण नहीं करेगा अथवा मछली पकड़ने हेतु विष, चुनाडायनोमाईट अथवा अन्य किसी हानिकारक अथवा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा।

दोहू खुंटे पर लगे जाल के मामले में स्थायी इंजन लगा सकता है जब वे महा जाल के साथ प्रयोग करने के लिये पानी में अस्थायी रूप से लगाए जाते हैं।

9. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति नीचे वर्णित जातियों के सामने दिये गये आकार से छोटी किसी मछली को न तो पकड़ेगा अथवा न ही बेचेगा :—

- (1) राहू ... 30 सेंटीमीटर
- (2) मिरगल ... 30 सेंटीमीटर

(3) महासेर	..	30 सेंटीमीटर
(4) कसला	..	30 सेंटीमीटर
(5) सिल्वर कार्प	..	30 सेंटीमीटर
(6) ग्रास कार्प	..	30 सेंटीमीटर
(7) कामन कार्प	..	30 सेंटीमीटर

ऐसे मामले, जिसमें अनजाने में ऐसी मछली पकड़ ली गई है, उसे तत्काल सार्वजनिक जल में वापिस जीवित छोड़ दिया जायेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी, उसका अभिकर्ता अथवा नामजद व्यक्ति उनके द्वारा सम्बद्ध जिले के मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाए गए परिसर के सिवाय किसी अन्य स्थान पर मछली नहीं बेचेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी, निदेशक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अपने इस करार के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य को आगे उप पट्टे पर नहीं देगा अथवा किसी भी रूप में अन्तिरित नहीं करेगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी उस स्थान पर जहां उसने कोई मछली की दुकान खोली है, अधिकारिता प्राप्त स्थानीय प्राधिकारियों के नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा।

13. सरकार, भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897, की धारा 6 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मछली पकड़ने के लिये दंड जल क्षेत्र से सरकार द्वारा पकड़ी गई मछलियों को उसकी अपनी दुकान के माध्यम से बेचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकती है। ऐसी स्थिति में यह सरकार से कोई कमीशन लिये बिना ही उक्त मछलियों को बेचेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी एक पंजी रखेगा जिसमें वह उसे दिए गए जल में मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों के, जिन्हें अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं, नाम तथा पते विनिर्दिष्ट होंगे। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अनुज्ञा पत्र धारकों की सूची निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी एक नियमित पंजी रखेगा जिसमें पकड़ी गई, खरीद की गई तथा बेची गई मछली के भार, ऐसे प्राप्त की गई मछलियों की विभिन्न किस्म, मछली पकड़ने के लिये प्रयोग में लाए गए अर्थात् तथा मछली पकड़ने के लिये उपयोग में लाये गए जालों तथा स्थान और क्षेत्र जहां से मछलियां पकड़ी गई हैं, को दर्शित किए जायेंगे।

16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी गई विभिन्न पंजिया, निदेशक तथा सरकार के ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जिन्हें निदेशक इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कर सकता है, सभी उपयुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जायेगी।

17. अनुज्ञप्तिधारी गत मास के दौरान पकड़ी गई और बेची गई विभिन्न किस्मों की मछलियों के बीच तथा प्रचलन भावों की एक रिपोर्ट प्रतिमास निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

18. (अ) अनुज्ञप्ति पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1914, के अंगीन बनाए गए नियमों के अधीन दी गई है और यह उक्त नियमों और अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए है।

(ख) उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अंगीन अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति रद्द हो जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुगतम की गई राशि उस वापिस नहीं दी जायेगी, मछली पकड़ने का अधिकार पुनः नीलाम किया जाएगा और सरकार को हुई हानि, यदि कोई हो, अनुज्ञप्तिधारी से वसूल की जाएगी।

19. किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, मछली के बाजारी भाव में घटा-बढ़ी और अन्य किसी के कारण से, चाहे जो भी हो, जिसे सीधे सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा अथवा उपलब्ध नहीं कहा जा सकता, के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को हुई हानि तथा नुकसान के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

20. यदि अनुज्ञप्तिधारी तथा सरकार के अथवा उन के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के बीच इस विलेख तथा उसकी विषय वस्तु के विषय में भ्रम उत्पन्न होने वाले अथवा के सम्बन्ध में कोई विवाद, दावेह अथवा प्रश्न उत्पन्न है, तो वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकार होगा।

इसके साक्ष्य में, इस विलेख के पक्षकारों ने भारत गणराज्य के -----वें वर्ष में साक्षियों की उपस्थिति में इस विलेख पर हस्ताक्षर किए।

साक्षी	अनुज्ञप्तिधारी
1. हस्ताक्षर -----	हस्ताक्षर -----
नाम -----	-----
तिथि -----	-----
पता -----	-----
2. हस्ताक्षर -----	-----
नाम -----	-----
तिथि -----	-----
पता -----	-----

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

तिथि

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

तिथि

पता

हस्ताक्षर

हरियाणा के राज्यपाल के लिए तथा की
और से

नाम

तिथि

पदनाम

प्रकाश

मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति

[देखिए नियम 5 (4)]

प्रतिषेध

अनुज्ञप्ति संख्या----- अनुज्ञप्ति संख्या-----

जारी करने की तिथि----- जारी करने की तिथि-----

अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता----- अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता-----

प्रवधि जिस के लिये जारी की गई----- प्रवधि जिस के लिये जारी की गई-----

अधिसूचित जल का विवरण जिस के लिए अधिसूचित जल का विवरण जिस के लिए

अनुज्ञप्ति जारी की गई----- अनुज्ञप्ति जारी की गई-----

अनुज्ञप्तिधारी तथा सरकार के बीच किए अनुज्ञप्तिधारी तथा सरकार के बीच किए

गए करारनामों दिनांक----- गए करारनामों दिनांक-----

में अधिकथित शर्तों तथा निबन्धनों के में अधिकथित शर्तों तथा निबन्धनों के

अधीन रहते हुए उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अधीन रहते हुए उसे ऊपर विनिर्दिष्ट

जलों में मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति जलों में मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति

दी जाती है । दी जाती है ।

निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ़ । चण्डीगढ़ ।

प्रस्ताव		प्रस्ताव	
क्रम संख्या	अनुज्ञा पत्र [देखिए नियम 7(2)]	क्रम संख्या	अनुज्ञा पत्र [देखिए नियम 7(2)]
अनुज्ञप्ति संख्या — — —	दिनांक — — —	अनुज्ञप्ति संख्या — — —	दिनांक — — —
के धारक अनुज्ञप्तिधारी श्री — — —		के धारक अनुज्ञप्तिधारी श्री — — —	
का अभिकर्ता/नामजद व्यक्ति श्री — — —		का अभिकर्ता/नामजद व्यक्ति श्री — — —	
को, इसके द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी की ओर		को, इसके द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी की ओर	
से नीचे विनिर्दिष्ट जलों में दिनांक —		से नीचे विनिर्दिष्ट जलों में दिनांक —	
— — — से — — —		— — — से — — —	
तक मछलियां पकड़ने की अनुज्ञा दी		तक मछलियां पकड़ने की अनुज्ञा दी	
जाती है।		जाती है।	
जलों के नाम		जलों के नाम	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
मत्स्य विकास अधिकारी,		मत्स्य विकास अधिकारी,	
जिला — — — — —		जिला — — — — —	

प्रत्यय प

[दिए गए नियम 12 (1)]

क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्ति

प्रति वर्ष

अनुज्ञप्ति पंख्या-----
श्रेणी-केवल क्रीड़ा के लिए मछली पकड़ने
की वंसी-----
अवधि जिसके लिए जारी की गई-----
-----से-----तक
जमा की गई राशि-----
(रसीद संख्या-----
तिथि-----)
फीस के भुगतान की तिथि-----
अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि-----
क्रीड़ा के लिए अनुज्ञप्तिधारी का नाम
तथा पता-----

अनुज्ञप्ति की क्रम संख्या-----
श्रेणी-केवल क्रीड़ा के लिये मछली पकड़ने
की वंसी-----
अवधि जिसके लिए जारी की गई-----
-----से-----तक
जमा की गई राशि-----
(रसीद संख्या-----
तिथि-----)
फीस के भुगतान की तिथि-----
अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथि-----
क्रीड़ा के लिए अनुज्ञप्तिधारी का नाम
तथा पता-----

उसे अधिसूचित जलों में मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति दी
जाती है अर्थात्-----

उसे अधिसूचित जलों में मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति दी
जाती है अर्थात्-----

इस अनुज्ञप्ति के पीछे अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए
दी जाती है ।

इस अनुज्ञप्ति के पीछे अधिकथित शर्तों के अधीन रहते
हुए दी जाती है ।

निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

(पिछमा पृष्ठ)

क्रीड़ा के लिए शर्तें

1. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्तिधारी केवल बगी के मास मछली पकड़ेगा और एक समय में एक से अधिक कांटे का प्रयोग नहीं करेगा।

2. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित में से किसी भी मछली को नहीं पकड़ेगा, न ही बेचने के लिये प्रदर्शित करेगा, न ही कृत धारण करेगा :—

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. राहू 30 सें० मी० | 2. कतला 30 सें० मी० |
| 3. मृगल 30 सें० मी० | 4. महासेर 30 सें० मी० |
| 5. सिल्वर काप 30 सें० मी० | 6. ग्रास काप 30 सें० मी० |
| 7. कामन काप 30 सें० मी० | |

3. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्तिधारी एक दिन में तीन से अधिक मछली नहीं पकड़ेगा।

4. क्रीड़ा के लिए अनुज्ञप्तिधारी अधिकारिता प्राप्त तहसीलदार या उपायुक्त या बा मत्स्य पालन विभाग के सम्बद्ध किसी अधिकारी को, हरियाणा मत्स्य क्षेत्र नियम, 1996, का कोई उल्लंघन, जो उनके ध्यान में आवे, बताने के लिये बाध्य होगा।

5. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा पकड़ी मछली नहीं बेचेगा।

6. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्तिधारी मछली को पकड़ने या मारने के लिए विष/डाबना-माईट या हानिकारक या बिस्फोटक पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा।

7. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्तिधारी मांगने पर अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति को दिखाने के लिए बाध्य होगा, जो पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1914, की धारा 6 के अर्जेंट विन वारंट के गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है।

8. क्रीड़ा के लिये अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति पर, अनुज्ञप्ति के दौरान पकड़ी गई मछलियों की संख्या और मछलियों का भार तथा किस्म को निम्नलिखित रूप से मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी को सूचित करेगा :—

1. पकड़ी गई मछली की संख्या—
2. पकड़ी गई मछलियों की किस्म—
3. पकड़ी गई मछलियों का भार—

9. क्रीड़ा के लिए अनुज्ञप्तिधारी मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारियों या निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, द्वारा नियोजित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह मछली पकड़ने पर, चाहे जो भी हो, कोई आपत्ति नहीं करेगा।

10. अनुज्ञप्ति की प्रवधि की समाप्ति पर क्रीड़ा के लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति अधिकारिता रखने वाले मत्स्य पालन अधिकारी को सौंप देगा।

11. उपर्युक्त किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

अनुसूची

[देखिये नियम-1 (2)]

I. जिला ग्रम्बाला—

1. ग्रोमला नदी, ग्रमरीचो, गूधानाल, बैंगना नदी, जो कि ग्रम्बाला जिले में पड़ती है।
2. टांगरी मार्किट चौराहा तरवाना शाखा सड़क नहर 19,200 और 1,93,889
3. तरवाना शाखा सड़क नहर 160 से 203 और उसके सामानान्तर नाला।

II. जिला यमुनानगर—

1. यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां, चोतंग रक्षी, सोमनाला, जो यमुनानगर जिले में पड़ता है।
2. पश्चिमी यमुना नहर की मुख्य लाईन और ऊपर सड़क नहर 50,000-64,000।
3. सड़क नहर 50,000-64,000, नीचे की सड़क नहर 2000-73000।
4. सड़क नहर 50,000-64,000 नीचे की सड़क नहर 73000-107000।
5. विभाजन नाला घोटू के अन्त तक।
6. पश्चिमी यमुना नहर ऊपर की मुख्य लाईन सड़क नहर 3000-50,000।
7. ऊपरी मोड़ नहर 40 से अन्त तक।
8. लिफ्टिंग चैनल सड़क नहर 30000-50000।
9. बढ़ती हुई नहर से साठ किलोमीटर तक।

10. भारतीय मारुत श्रेष्ठ अधिनियम, 1897 की धारा 6 के अधीन इन नियमों के अधिन प्रकाशन की तिथि से 2 वर्ष के लिये यमुना नदी के किनारे निम्नलिखित प्रांतों में स्थायीतः तौर पर मछली पकड़ने पर अनुमति नहीं है :—

(क) यमुना नदी : गांव कलेसर में ताजे बाला हैड तक ।

(ख) सोम पथराला नदी : गांव बालाचौर से दादुपुर हैड तक ।

(ग) सोम नदी : दादुपुर हैड तक से 500 मीटर नीचे की ओर तक ।

(घ) पश्चिमी यमुना नहर :

(i) मुख्य लाईन अवर ताजे बाला हैड तक से क्रॉस रेगुलेटर तथा मार० डी. 61000 से दादुपुर हैड तक ।

(ii) मुख्य लाईन लोमर :

मार० डी० 0 से 5000 तक ।

III. जिला कुरुक्षेत्र—

1. बरसाती नाला, राक्षी, सरस्वती, घग्गर, मारकण्डा तथा इनकी सहायक नदियां, जो जिला कुरुक्षेत्र में पड़ती हैं ।

2. सभी नहरें, जिनमें सतलुज योजक नहरें तथा नाले, जो जिला कुरुक्षेत्र में पड़ती हैं । बीबीपुर झील तथा उसकी शाखाएं ।

IV. जिला कैथल—

1. बरसाती नाला, राक्षी नाला, सरस्वती, घग्गर, मारकण्डा तथा उसकी सहायक नदियां जो जिला कैथल में पड़ती हैं ।

2. बीबीपुर झील और उसकी शाखाएं ।

3. सभी नहरें तथा नरवाना शाखा जो जिला कैथल में पड़ती हैं ।

V. जिला करनाल—

1. यमुना नहर, तथा उसकी सहायक नदियां और बाही नदी, राक्षी, चोतंग और इनकी सहायक नदियां ।

2. सभी नहरें जिनमें सतलुज यमुना योजक नहरें तथा नाले जो जिला करनाल में स्थित हैं ।

VI. जिला पानीपत—

1. यमुना नहर तथा उस की सहायक नदियाँ बाढ़ी नदी जो जिला पानीपत में पड़ती है।
2. सभी नहरें तथा नामें जिनमें सतलुज यमुना योजक नहरें तथा नामें शामिल हैं, जो जिला पानीपत में पड़ती हैं।

VII. जिला सोनीपत—

1. यमुना नहर तथा उसकी सहायक नदियाँ जो जिला सोनीपत में पड़ती हैं।
शोबा जाटो, देबला, मूरखत तथा जौन जो जिला सोनीपत में स्थित हैं।
2. सभी नहरें तथा नामें जो जिला सोनीपत में हैं।

VIII. जिला रोहतक—

1. निम्न दर्शाई गई शीर्षः—

- (क) सूरज
- (ख) ओरंगाबाद (नरिंजनपुर)
- (ग) कोट कलां (जखस जाना)
- (घ) कलोई
- (ङ) दबाना
- (च) जहांगीरपुर
- (छ) यागोलपुरा
- (ज) मनोमपुर
- (झ) पैल्पा
- (झ) जहीनपुर
- (ट) मिगडाबाद मोल
- (ठ) खेतायास
- (ड) बिनोबपुर
- (इ) कीलपुर
- (न) सोहनपुरा
- (त) कंगाली
- (प) चडवाना
- (ब) नडेवा
- (ध) उखत जाना

2. इन्दोरी एवं साहिबी नदी तथा उन की सहायक नदियां।

3. सभी नहरें तथा मोड़क नाले जो जिला रोहतक में स्थित हैं।

LX. जिला जीन्द:

1. जिला जीन्द की सभी नहरें तथा नाले।

2. मम्बेवा झील तथा उस की बाढ़ी नदी।

IX. जिला महेन्द्रगढ़ :

1. कसावती सरिता तथा उस की सहायक नदियां, जो जिला महेन्द्रगढ़ में स्थित हैं।

2. सभी नहरें तथा नाले जो जिला महेन्द्रगढ़ में स्थित हैं।

XI. जिला रिवाड़ी :

1. साहिबी सरिता।

2. बेहार नाला।

3. इन्दोरी नाला तथा उस की शाखाएं जो जिला रिवाड़ी में पड़ती हैं।

4. सभी नहरें तथा नाले जो जिला रिवाड़ी में स्थित हैं।

XII. जिला फरीदाबाद :

1. यमुना नदी तथा उस की सहायक नदियां जो जिला फरीदाबाद में स्थित हैं।

2. बूरिया नाला।

3. घग्गर नाला जो जिला फरीदाबाद में स्थित है।

4. प्रागरा नहर 6 मील से 49.4 मील तक जो जिला फरीदाबाद में स्थित है।

5. सभी नहरें तथा नाले जो जिला फरीदाबाद में स्थित हैं।

XIII. जिला गुड़गावां:

1. कोटला झील तथा उस की शाखाएं।

2. बाबराहपुर, मोहावास झील।

3. जजीना झील।

4. जम्बेनी झील, जो जिला गुड़गावां में स्थित है।

सरिताएं :

1. सतहिबी सरिता :
2. भिजागपुर झील तथा उसकी शाखाएं ।
3. कामूती सरिता ।
4. सण्डोहा सरिता ।

नाले :

1. बुरिया नाला ।
2. माण्डवाज नाला ।
3. बादशाहपुर नाला ।
4. जयनाला ।
5. त्रिवेणी नाला ।
6. मानेसर नाला ।
7. इन्दोरी नाला ।
8. थक नाला ।
9. बलोज नाला ।

सभी नहरें तथा नाले जो जिला गुड़गावां में स्थित हैं ।

XIV. जिला हिसार :

1. घग्गर तथा जय तथा उसकी सहायक नदियां, रंगोली नाला जो गांव अहीरवान, यालकी तथा राजस्थान फीडर से गुजरता है, जो जिला हिसार की सीमा के अन्दर है ।
2. सभी नहरें तथा नाले जो जिला हिसार में स्थित हैं ।

XV. जिला सिरसा :

1. घग्गर नदी तथा उसकी सहायक नदियां जो गांव मूसालवाला से गांव कारीवाला तक जिला सिरसा में स्थित हैं । राजस्थान फीडर जिला सिरसा की सीमा में स्थित है ।
2. सभी नहरें तथा नाले, जो जिला सिरसा में स्थित हैं ।

XVI. जिला भिवानी :

1. सभी नहरें तथा नाले, जो जिला भिवानी में स्थित हैं ।

एस० एम० गोयल,

सचिव, हरियाणा सरकार,
मत्स्य पालन विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FISHERIES DEPARTMENT

Notification

The 24th May, 1996

No. S.O. 86/P.A. 2/1914/S. 3/96.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Punjab Fisheries Act, 1914 and section 6 of the Indian Fisheries Act, 1897 and with reference to Haryana Government Fisheries Department Notification No. S.O. 30/P.A. 2/1914/S-3/1996 dated the 23rd February, 1996, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for the regulation of fishing in the public waters, namely :—

Short title and
Extent.

Definitions.

Licence for
fishing.
Section 3.Auction for
grant of Licence
Section 3.

1. (1) These rules may be called the Haryana Fisheries Rules, 1996

(2) They shall apply to waters specified in the Schedule.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, —

(1) "Auctioning authority" means the Director of Fisheries or any officer authorised by the Director in writing to hold auction under these rules ;

(2) "Director" means the Director of Fisheries, Haryana.

(3) "Form" means the form appended to these rules ;

(4) "Licence" means a licence issued under these rules ;

(5) "Licencee" means a person in whose favour a licence is issued under these rules ;

(6) "Licencing Authority" means the Director or any officer authorised by him in writing in this behalf ; and

(7) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Fishing in any of the waters specified in the Schedule shall be prohibited save under a licence granted by the licencing authority in accordance with these rules.

4. (1) On or after the first day of July each year, the auctioning authority shall put to public auction, the right of fishing in any water specified in the Schedule of portion of such waters. The auctioning authority shall be assisted by the Committee consisting of Deputy Director, Fisheries, Fisheries Development Officer-in-charge of the District concerned and of the adjoining district and a representative of the Revenue Department not below the rank of a Naib-Tehsildar. No person shall be allowed to bid unless he has deposited an amount as specified by Director, Fisheries in cash as earnest money with the auctioning authority.

(2) In case the highest bid at the time of auction is not of a Fishermen Co-operative Society registered under the law relating to the registration of Co-operative societies for the time being in force, the auctioning authority shall not accept that bid unless the same is at least 10% more than the highest bid of the Fishermen Co-operative Society ;

Provided that in case the highest bid is below the average of the contract amount received during the previous three years the auctioning authority may not accept the highest bid for the bid of the Fishermen Co-operative Society, as the case may be, in which case the fishing rights will be re-auctioned.

(3) The amount of earnest money deposited by the unsuccessful bidders would be returned to them as soon as bid has been accepted. In the case of the successful bidder the amount of earnest money may be returned after the issue of the licence.

(4) The auctioning authority may cancel the auction if the bid offered is not reasonable ; in such an event the fishing may be done departmentally or on loyalty basis.

5. (1) The persons whose bid has been accepted shall pay the amount offered by him for fishing in full at the time of auction or shall pay one third of auction amount at the time of auction and the remaining amount within 30 days from the date of the auction. In case of failure to deposit the remaining 2/3rd amount by the bidder within the stipulated period of 30 days, the 1/3rd amount deposited by the bidder at the time of auction shall be forfeited. In case where the bid amount is less than ten thousand rupees, the whole amount shall have to be paid at the time of auction.

Payment of
amount contract.
Section 3.

(2) A person, in whose favour the auction is closed shall at the fall of hammer, also deposit with the licencing authority an amount equal to 5% of contract amount as cash security for faithful observance of provisions of these rules and terms of his licence. If the licensee commits breach of any terms of his licence then without prejudice to any other action that may be taken against him, the cash security or such portion thereof as the licencing authority may deem fit, shall be forfeited to Government.

(3) After the payment of the 1/3rd amount, the licensee shall furnish an agreement deed in Form A to the satisfaction of the licencing authority within ten days from the date of issue of the acceptance of the bid.

(4) After depositing the total bid amount as required by sub-rule (1), furnishing the cash security as required by sub-rule (2) and the agreement deed as required by sub-rule (3) by the licensee a licence in Form B shall be issued to him.

(5) In case the bidder in whose name the auction is closed fails to pay the amount due from him at the fall of the hammer or the amount of security required to be deposited under sub-rule (2) or fails to furnish the agreement deed as required under sub-rule (3), the auctioning authority shall have the right to forfeit the earnest money, the 1/3rd amount already deposited at the time of auction and the cash security, cancel the

bid, re-auction the fishing rights and also debar such a bidder from bidding for three years.

Duration of
licence.
Section 3.

6. A licence granted under rule 5 shall, unless sooner determined, remain in force from the 1st September, or from the date of its issue, whichever is later, upto the 31st August following.

Conditions of
licence.
Section 3.

7. (1) The licensee or his agents or nominees shall not fish except with rod and line and hand line during the close season from 1st July to 31st August.

(2) The licensee shall fish either personally or through such of his agents or nominees as are provided with permits in Form C signed by the Fisheries Development Officer concerned.

(3) The licensee shall not either personally or through his agents or nominees fish in any water closed for fishing under the rules made under section 6 of the Indian Fisheries Act, 1897.

(4) The licensee or his agents or nominees shall not use for fishing any kind of gear except those mentioned below :—

(i) Nets of all kinds not having at any portion a mesh bar measuring less than 4 cm. from knot to knot or 16 cm. all around.

(ii) Long line with hooks.

(iii) Rod and line.

(iv) Hand line :

Provided that no gear except rod and line shall be used in the waters within a distance of 200 meters on either sides of bridges and head works.

(5) The licensee or his agents or nominees shall not erect or cause to be erected any fixed engines (except in the case of stake nets when they are temporarily fixed in waters for use in conjunction with drag nets), dams or weirs for catching fish nor shall be use or allow his agents or nominees the use of the poison, electric current, lime, dynamite or any other noxious or explosive substances in catching fish.

(6) The licensee shall be bound to show his licence on demand to any person who is empowered under section 6 of the Punjab Fisheries Act, 1914, to arrest without warrant.

(7) The licensee or his agent or nominees shall not catch or expose for sale or barter, fish of any of the following species below the length of 30 cm :—

(i) Rohu

(ii) Mrigal

(iii) Catla

- (iv) Mahaseer
- (v) Silver Carp
- (vi) Grass Carp
- (vii) Common Carp.

(8) The licensee shall not transfer his rights and liabilities under the licence without the previous sanction in writing of the Director.

(9) The licensee shall maintain a permit register specifying the names and addresses of the persons in whose favour permits have been issued for fishing within the area covered by his licence.

(10) The licensee shall maintain a daily register showing :—

(i) Weight of fish caught, purchased and sold ;

(ii) the gear employed for catching the fish ;

(iii) the varieties ;

(iv) location of fishing centres ;

(v) wholesale and retail prices of different species of fish.

(11) The licensee shall send a monthly statement regarding items mentioned in sub-rule (10) to the Fisheries Development Officer concerned by the 5th of each month following that to which it relates failing which a late fee of Rs. 10 per day will be charged for a period of ten days and will be recovered from the security deposit. If the statement is not submitted by him during the aforesaid period his licence may be cancelled.

(12) The licensee shall not charge any commission for the sale of any fish which is given by the Fisheries Department on its behalf.

(13) Every licensee and every agent or nominees of a licensee shall be bound to report to the Tehsildar or the Deputy Commissioner having jurisdiction within the area of the Fisheries Officer concerned any infringement of the rules that comes to his notice.

8. (1) The licensee shall not be entitled to claim any damage or compensation from the Government for any loss that may be suffered by him, due to floods, pollution, slump in prices, litigation or any other cause whatsoever.

Licensee not
entitled to claim
any damage from
Government.
Section 3.

(2) The licensee shall not be entitled to claim any damages for loss which may occur to him in the event of any action taken against him by any official/officer of the Fisheries Department for breach of any provision of these rules or of any term of his licence.

9. The Director or any officer or official of the Fisheries Department may enter any premises used by the licensee for assembling or storage or sale of fish for the purpose of inspection of the record of fish.

Inspection.
Section 3.

Forfeiture of
apparatus and
Fish. Section 3.

10. All apparatus erected or used by the licensee for fishing in contravention of any provision of these rules may be seized by any person empowered under section 6 of the Punjab Fisheries Act, 1914, to arrest without warrant for offences under the said Act. Any fish caught by the licensee by any such apparatus shall also be liable to be seized and forfeited by the person empowered as aforesaid and fish so forfeited shall be auctioned as early as possible by the persons who forfeited the same.

Cancellation of
licence and reau-
ction at the risk of
licensee. Section 3

11. (1) If the licensee or his agent or nominee commits a breach of any provision of these rules or any term of his licence, the licensing authority may without prejudice to any other action that may be taken by him under these rules or any provision of law, cancel his licence. In such an event, the fishing rights shall be put to re-auction and the licensee shall be liable to pay to the Government all expenses of re-auction together with loss, if any, occurred to the Government due to re-auction.

(2) In the event of cancellation of the licence under sub-rule (1), the permits issued under sub-rule (2) of rule 7 shall be deemed to have been cancelled.

(3) In the event of cancellation of the licence under sub-rule (1) and permit under sub-rule (2), the licensee or the permit holder, as the case may, shall not be entitled to the refund of any amount paid by him to the Government towards contract amount or by way of loss or damages whatsoever which may occur to him.

Issue of licence
for sport.
Section 3.

12. (1) Notwithstanding the provisions of the foregoing rules, the licensing authority may, on an application submitted to him in this behalf, grant to the applicant a licence for sport only in Form D on the conditions specified therein for fishing with rod and line.

(2) If the licence referred to in sub-rule (1) is issued for fishing in any of the waters already auctioned, the licensee who had obtained the licence through auction shall not be entitled to claim any compensation or damages on account of the issue of licence for the purpose of sport.

(3) The fee for the issue of licence under sub-rule (1) shall be as follows :—

<u>Period of licence</u>	<u>Amount of fee</u>
(a) For one year licence	Rs. 100
(b) Monthly licence	Rs. 50
(c) Seven days licence	Rs. 25
(d) Daily licence	Rs. 5

13. If a licence issued under these rules is lost, mutilated or destroyed, the licensing authority may, on receipt of an application in this behalf, issue a duplicate licence to the licensee on payment of a fee of rupees two only.

Issue of duplicate licence,
Section 3.

14. Nothing in these rules shall debar any official or officer of the Fisheries Department or any person empowered or authorised by Director from catching fish of any size of any species at any time of the year by any method for the purpose of research or development. The licence shall not be entitled to claim any damage or compensation on this account.

Officers and officials of
Fisheries
Department
not debarred
from catching
fish.
Section 3.

15. The Punjab Fisheries Rules, 1966, in its application to the State of Haryana hereby repealed :

Repeal.

Provided that any order or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

*Notified
Assent*

FORM A

[See rule 5(3)]

Agreement Deed

This deed of agreement made on this _____ day of _____ between the Governor of Haryana (hereinafter referred to as the 'Government' of the one part and Shri _____ resident of _____ (hereinafter referred to as the "Licencee") of the other part.

The parties do hereby agree as under :—

1. The Government hereby grants to the licensee a licence to catch fish in the public waters specified in the Schedule appended to this deed, on the terms and conditions, contained in this instrument. Nothing in this licence shall authorise the licensee or his agent or nominees to fish in any water closed to fishing under the rules made under section 6 of the Indian Fisheries, Act, 1897.

2. The licence hereby granted is valid for the period from _____ to _____ but no fishing except with rod and line shall be allowed during period from 1st July to 31st August of the year.

3. (a) In consideration of the grant of the licence by the Government, the licensee has paid to the Government the sum of Rs. _____ the receipt whereof is hereby acknowledged.

(b) The licensee has furnished security of Rs. _____ (5% of total amount) to the Government to comply with the terms and conditions of the licence.

4. (a) The licensee shall be entitled to fish personally or through his agents or nominees who have been provided with written permits signed by the Fisheries Development Officer of the districts.

(b) The licensee and his agents and nominees shall be bound to show on demand, the licence or the permit, as the case may be, to any person authorised in this behalf by the Government and to such officer as are empowered under the provisions of the Punjab Fisheries Act, 1914 to arrest without warrant.

5. The Director of Fisheries Haryana (hereinafter) referred to as the "Director" shall have the right and authority to issue individual licence for rod and line for sport only and the licensee shall not be entitled to claim any compensation on that account.

6. The licensee or his agents or nominee shall not use any gear except the following kinds of gears for the purpose of fishing :

(1) Nets of all kinds not having at any portion mesh bar measuring less than 4 cm. from knot to knot or 16 cm. all round.

(2) Long line with hooks.

(3) Rod and line.

(4) Hand line.

No gear except rod and line shall be used in the water within a distance of two hundred meters on either side of bridges and head works falling within the Haryana State.

7. The licensee or his agents or nominees shall report to the Director or any of the officers of the Fisheries Department of the Government any breach of the rules framed under the Punjab Fisheries Act, 1914 that come to his or their notice.

8. The licensee or his agents or nominees shall not erect any fixed engines, dam or wires for catching fish or use poison, line, dynamite or any other noxious or explosive substance in catching fish. He may however erect fixed engines as in case of stake nets when they are temporarily fixed in waters for use in conjunction with drag net.

9. The licensee or his agents or nominees shall not catch or sell any fish less than the size of the species mentioned below :

(1) Rohu 30 cm.

(2) Mrigal 30 cm.

(3) Mahaseer 30 cm.

(4) Catla 30 cm.

(5) Silver Carp 30 cm.

(6) Grass Carp 30 cm.

(7) Common Carp 30 cm.

In case such a fish has been inadvertently caught, the same shall be immediately thrown back alive in the public water.

10. The licensee, his agents or nominees shall not sell fish except at the premises got approved by them from the District Fisheries Development Officer of the district.

11. The licensee shall not sublet or in any way transfer his right and liabilities under this agreement to any body without the previous sanction in writing of the Director.

12. The licensee shall abide by the rules and regulations of the local authorities having jurisdiction over and place where he has opened any fish shop.

13. The Government may require the licensee to sell fish caught by the Government from any water closed to fishing under the rules

made under section 6 of the Indian Fisheries Act, 1897, through his fish shops. In that event he shall sell the said fish without claiming any commission from the Government.

14. The licensee shall maintain a register specifying the name and addresses of the persons to whom permits have been issued for fishing within the waters issued to him. A list of such permit holders shall be submitted by the licensee to the Director.

15. The licensee shall maintain a regular register showing weight of fish caught, purchased and sold, indicating different varieties of fish so obtained, the ways and means adopted for catching fish and types of nets used and the area and place from where the fish has been caught.

16. The various registers maintained by the licensee shall be opened to inspection by the Director and such other officers and servants of the Government as the Director may authorise in this behalf, at all reasonable time.

17. The licensee shall submit each month to the Director a report regarding the wholesale and retail prices of different varieties of fish caught and sold during the preceding month along with their respective weight.

18. (a) The licensee has been granted under the rules framed under the Punjab Fisheries Act, 1914 and is subject to the provision of the said rules and the Act.

(b) In the event of the cancellation of the licence, of the licensee under the provisions of the said rules and the Act, the amount already paid by the licensee shall not be refunded to him, the right of fishing may be re-auctioned and the loss sustained by the Government if any, shall be recovered from the licensee.

19. The Government shall not be liable to pay any loss or damage occurred to the licensee as a result of natural calamities, pollution, fluctuation of market price of fish or due to any cause whatsoever, not directly attributable to the negligence or tortious actions of the employees of the Government.

20. If any dispute, doubt or question arises between the licensee and the State Government or any person claiming under them touching or arising out of or in respect of this deed or the subject matter thereof, the same shall be referred to the sole arbitrator to be appointed by the State Government and the decision of the arbitrator so appointed shall be final and binding on both the parties.

In witness whereof the parties to this deed have put their respective hands in this deed on _____ year of Republic of India in the presence of witnesses.

1. Signature _____ Signature _____
(Licencee)
Name _____ Name _____
Date _____ Date _____
Address _____ Address _____
2. Signature _____
Name _____
Date _____
Address _____
Witnesses
1. Signatures _____ Signature _____
(For and on behalf of the
Governor of Haryana)
Name _____
Date _____
Designation _____
2. Signature _____
Name _____ Name _____
Date _____ Date _____
Designation _____ Designation _____

SCHEDULE

FORM B

[See rule 5 (4)]

Fishing Licence

Counterfoil

No. of Licence_____

Date of Issue_____

Name and address of licensee

Period for which issued_____

Notified waters for which
Licence is issued_____

He is licenced to fish in the
waters specified above subject
to the terms and conditions
laid down in the agreement
dated_____

between the licensee and the
Government.

Director of Fisheries, Haryana,
Chandigarh.

No. of Licence_____

Date of Issue_____

Name and address of Licensee

Period for which issued_____

Notified waters for which
Licence is issued_____

He is licenced to fish in the
waters specified above subject
to the terms and conditions
laid down in the agreement
dated_____

between the licensee and the
Government.

Director of Fisheries, Haryana,
Chandigarh.

FORM C

PERMIT

[See rule 7(2)]

S.No.

Shri _____ agent or his
nominee of Shri _____
a licensee holding licence No. _____
dated _____ is hereby permitted
to catch fish from _____ upto _____
in the waters specified below on behalf
of the licensee.

Name of waters

Signature

Fisheries Development Officer

District _____

FORM C

PERMIT

[See rule 7(2)]

Shri _____ agent or his
nominee of Shri _____
a licensee holding licence No. _____
dated _____ is hereby permitted
to catch fish from _____ upto _____
in the waters specified below on behalf
of the licensee.

Name of waters

Signature

Fisheries Development Officer

District _____

FORM D

[See rule 12(1)]

(Licence for sport)

Counterfoil

Serial No. of Licence _____

Class-Rod and line for sport only.

Period for which issued From _____

To _____ Amount of fee
deposited _____ (Receipt

No. _____ dated _____)

Date of payment of fee _____

Date of issue of licence _____

Name and address of Licencee

_____ for sport _____

He is licenced to fish in the notified
waters, namely _____ subject
to condition laid down on the reverse
of this licence.Director of Fisheries, Haryana,
Chandigarh.

Serial No. of Licence _____

Class-Rod and line for sport only.

Period for which issued From _____

to _____ Amount of fee

_____ deposited (Receipt

No. _____ dated _____)

Date of payment of fee _____

Date of issue of licence _____

Name and address of Licencee

_____ for sport _____

He is licenced to fish in the notified
waters, namely _____ subject
to condition laid down on the reverse of
this licence.Director of Fisheries, Haryana,
Chandigarh.

(Reverse)

Conditions for licence sport :

1. The licensee for sport shall fish with rod and line only and shall not use more than one hook at a time.
2. The licensee for sport shall not catch or expose for sale or barter fish of any of the following species less than the size of the species mentioned below :—
 - (1) Rohu 30 cm.
 - (2) Catla 30 cm.
 - (3) Mrigal 30 cm.
 - (4) Mahaseer 30 cm.
 - (5) Silver Carp 30 cm.
 - (6) Grass Carp 30 cm.
 - (7) Common Carp 30 cm.
3. The licensee for sport shall not catch more than three fish in a day.
4. The licensee for sport shall be bound to report to the Tehsildar or Deputy Commissioner having jurisdiction or any officer of the Fisheries Department concerned any breach of the Haryana Fisheries Rules, 1996 that comes to his notice.
5. The licensee for sport shall not sell his catch.
6. The licensee for sport shall not use, poison, dynamite or any noxious or explosive substance for catching or killing fish.
7. The licensee for sport shall be bound to produce his licence on demand to any person, who is empowered under section 6 of the Punjab Fisheries Act, 1914 to arrest without warrant.
8. On expiry of the period of the licence, the licensee for sport shall intimate to Officer of Fisheries, the number fish of and weight and kind of fish caught during the period of the licence as under :—
 - (i) No. of fish caught—
 - (ii) Kind of fish caught—
 - (iii) Weight of fish caught—
9. The licensee for sport shall not interfere in any manner whatsoever in catching by the official or Officers of the Fisheries Department or any other person employed by the Director of Fisheries, Haryana.
10. On the expiry of the period of the licence, the licensee for sport shall surrender his licence to the Fisheries Officer having jurisdiction.
11. The licence will be cancelled for any breach of the above conditions.

SCHEDULE

[See Rule 1(2x)]

I. AMBADA DISTRICT

1. Omla Nadi, Amul Cho, Judha Nalah, Begna River, situated in district Ambala.
2. Tangri syphons crossing Narwana Branch at R.D.I. 192000 and 193889.
3. Narwana Branch R.D. 160 to 203 and parallel drain.

II. YAMUNA NAGAR DISTRICT

1. River Jamuna and its tributaries, Chutang, Rakshi, Som-Nala situated in Yamuna Nagar District.
2. Western Jamuna Canal main line upper R.D. 50000—64000.
3. R.D. 50000—64000; Lower R.D. 2000—73000.
4. R.D. 50000—64000; Lower R.D. 73000—107000.
5. Division Channel Off Tail.
6. Western Jamuna Canal main line upper R.D. 3000—50000.
7. Upper Diversion Channel 40 to tail.
8. Rafting Channel R.D. 30000 to 50000.
9. Augmentation Canal to 7 K.M.
10. Under the provision of Section 6 (4) of the Indian (Act IV of 1897) no commercial fishing is allowed in the following waters situated in Yamuna Nagar District for a period of two years from the date of final publication of these rules.
 1. Yamuna River : from Kalaser village upto Tajewala Headworks.
 2. W. Som-Pathrala River : from village Balachaur to Dadupur Head works.
 3. Som River : From Dadupur Headworks upto 500 meters downward.
 4. W.J.C.-(I) Main Line upper : Tajewala Head works to cross Regulator.
 - (i) R. D. 61000—upto Dadupur Head works.
 - (ii) Main line lower : R. D. 0 to 5000.

III. KURUKSHETRA DISTRICT

1. Barsati Nala, Rakshi, Sarwat, Ghaggar, Markanda and its tributaries situated in Kurukshetra district.
2. All canals including Satluj Yamuna Link canals and drains situated in Kurukshetra district. Bibipur lake and its tributaries.

IV. KAITHAL DISTRICT

1. Barsati Nala, Rakshi Nalah, Sarwati, Ghaggar, Markanda and its tributaries situated in Kaithal district.
2. Bibipur Lake and its tributaries.
3. All canals and Narwana Branch situated in Kaithal district.

V. KARNAL DISTRICT

1. River Jamuna and its tributaries and flood channels, Rakshi, Chautang with their tributaries.
2. All canals including Satluj Yamuna Link canals and drains situated in Karnal district.

VI. PANIPAT DISTRICT

1. River Jamuna and its tributaries and flood channels situated in Panipat district.
2. All canals and drains including Satluj Yamuna Link canals, drains situated in Panipat district.

VII. SONEPAT DISTRICT

1. River Yamuna and its tributaries in Sonapat district. Shesha Jati, Dobella Murthal and Jauna situated in Sonapat district.
2. All canals and drains situated in Sonapat district.

VIII. ROHTAK DISTRICT

1. Jheels shown as :

- (a) Sura
- (b) Aurangabad (Narinjnapur)
- (c) Kot Kalan (Ukhel Jana)
- (d) Kaloi
- (e) Dabana
- (f) Jhangirpur
- (g) Yagolepura

- (h) Manimpur
- (i) Pelpa
- (j) Zahidpur
- (k) Bhindawa Jheel
- (l) Khetabas
- (m) Bilochpura
- (n) Keelpura
- (o) Shahjanpura
- (p) Kanwali
- (q) Chandwana
- (r) Nevada
- (s) Ukhal Jana

- 2. Indori and Sahibi stream and their tributaries.
- 3. All canals and drains situated in Rohtak district.

IX. JIND DISTRICT

- 1. All Canals and drains situated in Jind District.
- 2. Bambhewa jheel and its flood channels.

X. MOHINDERGARH DISTRICT

- 1. Kasawati stream and its tributaries situated in Mahindergarh District.
- 2. All canals and drains situated in Mahindergarh district.

XI. REWARI DISTRICT

- 1. Sahibi stream
- 2. Dehar Nala
- 3. Indori Nala and their tributaries situated in Rewari district.
- 4. All canals and drains situated in Rewari district.

XII. FARIDABAD DISTRICT

- 1. River Jamuna and its tributaries situated in Faridabad district.

2. Buriya Nala.
3. Jair Nala situated in Faridabad District.
4. Agra canal from six miles to 49.4 miles situated in Faridabad District.
5. All canals and drains situated in Faridabad district.

XIII: GURGAON DISTRICT

1. Jheel :
 - (a) Kotla jheel and its tributaries
 - (b) Badshapur Modawas Jheel
 - (c) Ujjina jheel.
 - (d) Chandani jheel situated in Gurgaon District.
2. Streams :
 - (a) Sahibi stream
 - (b) Nizampur jheel and its tributaries
 - (c) Kasoti stream
 - (d) Landoha stream
3. Nallah :
 - (a) Buryha Nalah
 - (b) Manda was Nalah
 - (c) Badshahpur Nalah
 - (d) Jai Nalah
 - (e) Tribaini Nalah
 - (f) Manesar Nalah
 - (g) Indori Nalah
 - (h) Thek Nalah
 - (i) Baloj Nalah
4. All canals and drains situated in Gurgaon District.

XIV. HISSAR DISTRICT

1. Ghaggar, any Jaiya and their tributaries and Rangoli Nalah passing through village Ahirwan, Yalki and Rajasthan Feeder within the boundaries of Hissar District.

2. All canals and drains situated in Hissar District.

XV. SIRSA DISTRICT

1. River Ghaggar and its tributaries situated in Sirsa district from village Musalwala to village Kariwala, Rajasthan feeder within the boundaries of Sirsa District.

2. All canals and drains situated in Hissar District.

XVI. BHIWANI DISTRICT

All canals and drains situated in Bhiwani District.

L. M. GOYAL,
Secretary to Government, Haryana.